न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 47 / 2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

मूथूट हाऊसिंग फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री जसवन्त सिंह
रजिस्टर्ड पताः– टी सी नंबर 14 / 2074–7, मूथूट सेन्टर, पुनेन रोड़ तिरूवंतपुरम् 695039 केरल
डाक का पताः–कॉरपोरेट कार्यालय 12ए 01 तेरहवीं मंजिल परिनी क्रेसेंजो, प्लॉट नंबर सी–38 एवं सी–39 बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स जी ब्लॉक बांद्रा (ईस्ट) मुम्बई–400051

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

1. दलीप सिंह
   प्रथम पताः– वार्ड नं. 8, राड़ की ढ़ाणी, तहसील दांतारामगढ़ सीकर 332025
   द्वितीय पताः– खसरा नं. 47 ग्राम राड़ की ढ़ाणी पटवार हल्का सांगलिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर 332025 राज.
2. गीता कंवर
   प्रथम पताः– वार्ड नं. 8, राड़ की ढ़ाणी, तहसील दांतारामगढ़ सीकर 332025
   द्वितीय पताः– खसरा नं. 47 ग्राम राड़ की ढ़ाणी पटवार हल्का सांगलिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर 332025 राज.

–अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 27 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **सुभाष चन्द्र कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **दलीप सिंह व गीता कंवर** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति खसरा नं. 47, ग्राम राड़ की ढाणी पटवार हल्का सांगलिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर 332025** में स्थित है। **जिसका कुल क्षेत्रफल 2750.32 वर्गफीट है।** जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में भाइयों की कॉमन गली, पश्चिम दिशा में मुग सिंह का घर और खुली जमीन, उत्तर दिशा में उपहारकर्ता की संपति एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹8,90,172/– रूपये (अक्षरे रूपये आठ लाख नब्बे हजार एक सौ बहतर)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **12.08.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **12.08.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **दलीप सिंह व गीता कंवर** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **अचल सम्पत्ति खसरा नं. 47, ग्राम राड़ की ढाणी पटवार हल्का सांगलिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर 332025** में स्थित है। **जिसका कुल क्षेत्रफल 2750.32 वर्गफीट है**। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में भाइयों की कॉमन गली, पश्चिम दिशा में मुग सिंह का घर और खुली जमीन, उत्तर दिशा में उपहारकर्ता की संपति एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **27 अप्रैल, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट,सीकर